श्री जय प्रकाश मंडल, विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक – 05–06.02.2019 को राज्य के सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र/ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति पंजी के अनुसार –

विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों के साथ लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र, ए.सी./डी.सी. विपत्र/लोक लेखा समिति की कंडिका एवं महालेखाकार का अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन आदि की समीक्षा बैठक विभागीय सभाकक्ष में की गई। बैठक के क्रम में निम्न निर्देश दिए गएः–

- **अव्यवहृत राशि जमा कर उपयोगिता प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना** – समीक्षा के क्रम में सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2016–17 तक सहायक अनुदान मद की वैसी आवंटित राशि जिसका उपयोग अब तक नहीं किया गया है और निकायों के पी.एल./बैंक खाता में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, उस राशि को सरकार के संबंधित शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कर चालान की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा करना सुनिश्चित किया जाए।

2. नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में अनिकासी राशि का मामला लंबित है उसका अनिकासी प्रमाण–पत्र संबंधित कोषागार से प्राप्त कर उसका मूल अनिकासी प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा किया जाए।
3. नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि जिन नगर निकायों में व्यय के विरूद्ध उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित नहीं किया गया है, कैशबुक की छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र अगली मासिक बैठक के पूर्व विभाग में जमा किया जाए।
4. नगर निकायों वैरगनिया, बडहिया, एकमाबाजार, मुरलीगंज, नासरीगंज, नवगछिया, पीरो, शिवहर, भभुआ, ~~बक्सर~~, डुमरांव एवं शेखपुरा के प्रतिनिधियों

द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ बैंक एवं पी.एल. खाता में संधारित राशि से नल–जल का कार्य कराया जा रहा है। इस संबंध मे निदेश दिया गया कि उक्त कार्य के विरूद्ध देय भुगतान की राशि रखकर शेष राशि को सरकार के संगत शीर्ष में चालान के माध्यम से जमा कराकर चालान की छायाप्रति के साथ उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र मासिक बैठक के पूर्व विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

5. नगर निकाय – पीरो, सोनपुर, मुंगेर, पूर्णिया, सुल्तानगंज एवं सहरसा को वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2016–17 तक बैंक/पी.एल. खाते में सहायक अनुदान मद की निष्क्रिय पड़ी राशि को जमा कराते हुए **दिनांक – 15.02.2019** तक उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
6. नगर निकाय – कटैया, खुशरूपुर, कोचस, कोईलवर, मनेर एवं सिलाव को वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2016–17 तक बैंक/पी.एल. खाते में सहायक अनुदान मद की निष्क्रिय पड़ी राशि को जमा कराते हुए **दिनांक – 18.02.2019** तक उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
7. नगर निकाय – हवेली खड़गपुर, कसवा, महुआ, मैरवा, मखदुमपुर, मोहनिया, मोतीपुर, मुरलीगंज, रफीगंज, शेरघाटी, हिलसा, चकिया, मेहसी, केसरिया एवं रक्सौल को वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2016–17 तक बैंक/पी.एल. खाते में सहायक अनुदान मद की निष्क्रिय पड़ी राशि को जमा कराते हुए **दिनांक – 20.02.2019** तक उसका उपयोगिता प्रमाण–पत्र विभाग को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
8. सभी नगर निकायों के प्रतिनिधियों को निदेश दिया गया कि सहायक अनुदान मद से संबंधित 20 विन्दुओं का प्रतिवेदन अद्यतन कर उसे प्रत्येक माह के 25 तारीख तक एम.आई.एस. को भेजा जाए।
9. सभी नगर निकायों को निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2003–04 से 2016–17 तक बैंक/पी.एल. खाता में सहायक अनुदान मद की निष्क्रिय पड़ी राशि को जमा करने के बाद शेष बची राशि किस वित्तीय वर्ष का है एवं उसका शीर्षवार, मदवार रखे जाने का औचित्य प्रतिवेदन के साथ अगली मासिक बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाए।

- **लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन** – समीक्षा के क्रम में नगर निकाय के प्रतिनिधियों द्वारा लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार (ले०प०), बिहार,

पटना को भेजते हुए निम्न तिथियों तक विभाग को पुनः उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया हैः–

(लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० / वर्ष)	अनुपालन हेतु दिया गया समय
नगर पंचायत, मखदुमपुर – 296 / 2016–17	10.02.2019
नगर परिषद्, सुल्तानगंज – 1316 / 2015–16	12.02.2019
नगर पंचायत, कसवा – 359 / 2011–12, नगर पंचायत, कोईलवर – 326 / 2009–10	15.02.2019
नगर पंचायत, कोईलवर – 717 / 2007–08	18.02.2019
नगर परिषद्, मोतिहारी DLFA-12/2015-16 नगर पंचायत, केसरिया – 471 / 2012–13, 1003 / 2015–16, नगर पंचायत, चकिया – 487 / 2009–10, नगर पंचायत, रफीगंज – 758 / 2013–14, 1275 / 2015–16, नगर पंचायत, झंझारपुर – 649 / 2011–12, नगर पंचायत, मेहसी – 1081 / 2016–17	20.02.2019
नगर पंचायत, कसवा – 472 / 2012–13	15.03.2019

- नगर पंचायत निर्मली के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 340 / 2012–13 का अनुपालन प्रतिवेदन पूर्व में विभाग में जमा किया जा चुका है जिसकी प्रति अगली बैठक में पुनः उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।
- नगर पंचायत टेकारी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 808 / 2014–15 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार हो गया है जिसे नये कार्यपालक पदाधिकारी के योगदान करने के बाद उसे विभाग को उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया।

  अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 440 / 2008–09 का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा चुका है जिसकी प्रति शुक्रवार तक विभाग को उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया।
- नगर पंचायत, नासरीगंज के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 187 / 2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार हो गया है जिसे नये कार्यपालक पदाधिकारी के योगदान करने के बाद उसे विभाग को उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया।

- नगर पंचायत, जगदीशपुर के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 957/2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार हो गया है जिसे नये कार्यपालक पदाधिकारी के योगदान करने के बाद उसे विभाग को उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया।
- नगर परिषद्, डुमरांव के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 665/2010–11 एवं 275/2016–17 का अनुपालन प्रतिवेदन अगली मासिक बैठक तक विभाग को उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया।
- नगर परिषद्, फतुहा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या 1249/2015–16 का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजते हुए उसकी प्रति अगली मासिक बैठक तक विभाग को उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया गया।
- नगर परिषद्, नवादा के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या DLFA-61/2015–16 का अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को भेजा जा चुका है जिसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करा देने का निदेश दिया गया।

लोक लेखा समिति से संबंधित लंबित कंडिका

- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2013–14 की कंडिका 5.7 जो मोबाईल कम्पनियों व भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर नगर निगम, कटिहार, नगर परिषद्, मधेपुरा, सिवान एवं बेतिया द्वारा 10 वर्षो से अधिक अवधि की लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5 प्रतिशत के दर पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किए जाने के कारण रु. 18.34 लाख राजस्व की हानि के संबंध में नगर निगमों/परिषदों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।
- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (राजस्व प्रक्षेत्र) वर्ष 2014–15 की कंडिका 5.10 जो मोबाईल कम्पनियों तथा भू–स्वामियों के बीच हुए लीज एकरारनामा पर नगर निगम, बेगूसराय, दरभंगा, नगर परिषद्, औरंगाबाद, किशनगंज, मधुबनी एवं सहरसा द्वारा 10 वर्षो से अधिक अवधि की लीज पर भूमि के बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत तथा 10 वर्षो के लीज के मामले में भूमि के वास्तविक मूल्य का 5

प्रतिशत के दर पर मुद्रांक शुल्क आरोपित नहीं किए जाने के कारण रु. 6.33 लाख राजस्व की हानि के संबंध में नगर निकायों के उपस्थित प्रतिनिधियों को आवश्यक साक्ष्य आधारित अनुपालन प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में लाने का निदेश दिया गया।

- सी.ए.जी. का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की लंबित कंडिकाओं की समीक्षा की गई तथा उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा लंबित कंडिका की सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया ताकि अगली बैठक के पूर्व अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जा सके। उक्त के आलोक में वर्षवार एवं कंडिकावार लंबित सूची को विभागीय ईमेल के माध्यम से दिनांक–14.01.19 को सभी नगर निकायों को उपलब्ध करा दिया गया है।
- **लेखा मिलान** – सभी नगर निकायों से शीर्षवार प्राप्ति एवं व्यय का ऑकड़ा प्राप्त होने पर विभाग के द्वारा समेकित रूप से महोलखाकार (ले० एवं ह०), बिहार के लेखा में दर्ज ऑकड़ो से लेखा मिलान किया जाना है, जिसके लिए प्रत्येक माह लेखा मिलान हेतु ऑकड़ों की मांग की जाती है, परन्तु नगर निकायों से अपेक्षित ऑकड़ा प्राप्त नहीं होने के कारण खेद व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए अब तक हुए प्राप्ति एवं व्यय का ऑकड़ा शीर्षवार, मदवार एवं टी.भी. नंबर सहित उसकी सत्यापित प्रति प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। अन्यथा लेखा मिलान नहीं होने पर आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- दिनांक – 07.01.2019 की बैठक में नगर परिषद्, बाढ़ के प्रतिनिधि के रूप में नगर प्रबंधक द्वारा भाग लिया गया था तथा उनके द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 598/2008–09 एवं 736/2014–15 का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक – 30.01.2019 तक उपलबध कराने का आश्वासन दिया गया था जिसका अनुपालन नहीं होने पर निदेश दिया गया कि नगर प्रबंधक का माह फरवरी, 2019 का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य मांगा जाए।
- बैठक में नगर परिषद्, नरकटियागंज के प्रतिनिधि के रूप में निम्नवर्गीय लिपिक को भेजा गया था जिन्हें विषय की जानकारी नहीं रहने पर इसके लिए प्रधान

लिपिक/प्रधान सहायक का माह फरवरी, 2019 का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य मांगा जाए।

- बैठक में नगर परिषद्, खगड़िया के प्रतिनिधि के रूप में कार्यपालक सहायक को भेजा गया जिसे विषय की जानकारी नहीं थी। साथ ही अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – 728/2014–15 एवं 706/2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक – 30.01.2019 तक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था जो अब तक अप्राप्त है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि बैठक में भाग नहीं लेने वाले प्रधान लिपिक/प्रधान सहायक का माह फरवरी, 2019 का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य मांगा जाए।
- बैठक में नगर परिषद्, डेहरी डालमियानगर के प्रतिनिधि के रूप में लेखापाल को भेजा गया था जिन्हें विषय की जानकारी नहीं थी। अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या – DLFA-81/2014-15 का अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक – 17.01.2019 तक उपलब्ध कराने का आश्वासन विगत बैठक में दिया गया था जिसका अनुपालन नहीं होने एवं बैठक में भाग नहीं लेने वाले प्रधान लिपिक का माह फरवरी, 2019 का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
- बैठक में नगर परिषद्, फतुहा के प्रतिनिधि के रूप में लिपिक को भेजा गया था जिन्हें विषय की जानकारी नहीं रहने पर इसके लिए प्रधान लिपिक का माह फरवरी, 2019 का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य मांगे जाने का निदेश दिया गया।
- बैठक में नगर पंचायत, जनकपुर रोड के प्रतिनिधि के रूप में कनीय अभियंता को भेजा गया था परन्तु उनके द्वारा उपस्थिति दर्ज कर बैठक की कार्यवाही में अनुपस्थित पाए गए इसके लिए कनीय अभियंता का माह फरवरी, 2019 का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य मांगे जाने का निदेश दिया गया।
- बैठक में नगर परिषद्, भभुआ के प्रतिनिधि के रूप में टैक्स दारोगा को भेजा गया था जिन्हें विषय की जानकारी नहीं रहने पर इसके लिए बैठक में भाग नहीं लेने वाले प्रधान लिपिक का माह फरवरी, 2019 का वेतन स्थगित करते

हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यपालक पदाधिकारी का मंतव्य मांगे जाने का निदेश दिया गया।

- बहुत सारे **नगर पंचायत** – (बहादूरगंज, बारसोई, वीरपुर, बोधगया, चनपटिया, दिघवारा, घोघरडीहा, ईस्लामपुर, कहलगॉव, मढ़ौरा, मीरगंज, नवीनगर, परसाबाजार, रामनगर, रिविलगंज, साहेबगंज, सुगौली, सुरसंड, ठाकुरगंज) एवं **नगर परिषद्** – (भभुआ, अरवल, औरंगाबाद, बांका, विक्रमगंज, गोपालगंज, खगौल, मधुबनी, मोकामा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सिवान, फतुहा) तथा **नगर निगम** – (पटना, छपरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय) के प्रधान लिपिक/कर्मी की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त करते हुए निदेश दिया गया कि संबंधित कर्मी का माह फरवरी, 2019 का वेतन स्थगित करते हुए उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर कार्यपालक पदाधिकारी/नगर आयुक्त का मंतव्य मांगा जाए।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

18.2.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक – 07/विविध–03/2018 286 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 20.02.19

प्रतिलिपि– सभी नगर आयुक्त, नगर निगम/सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. इस आशय की सूचना अपने नगर निकायों के कर्मियों/प्रतिनिधियों को देते हुए बैठक की कार्यवाही के आलोक में अनुपालन कराते हुए उससे संबंधित प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में उपस्थित होने का निदेश दिया जाए।

18.2.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग

ज्ञापांक – 07/विविध–03/2018 286 न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक 20.02.19

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक निदेशक–सह–संयुक्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा – 07 एवं प्रशाखा – 07 के संबंधित कर्मी, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

18.2.19

विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग